भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नव संख्या2595

15 दिसम्बर2015 के लिए प्रश्नन

प्रापण प्रक्रिया

2595. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गेहूं, धान और चावल के समस्त प्रापण कार्यों को राज्यों को सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कल्याण योजना के आधार पर खाद्य संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) और (ख): सरकार राज्य सरकारों को गेहूं, धान और चावल के लिए खरीद की विके न्द्रीकृत प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी) के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत नामित डीसीपी राज्य भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एवं अन्य कल्याण स्कीमों के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद करते हैं , उनका भंडारण करते हैं और खाद्यान्न जारी करते हैं। खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ सुनिश्चित करना, खरीद की कार्य कुशलता बढ़ाना और अपारम्परिक राज्यों में खरीद को बढ़ावा देना है और इस प्रकार स्थानीय किसानों को एमएसपी का लाभ दिलाना और ढुलाई के दौरान होने वाले नुकसान और ढुलाई की लागत की बचत करना है। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु उन खाद्यान्नों की खरीद की जाती है , जो स्थानीय पसंद की दृष्टि से अधिक अनुकूल हैं। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) इन राज्य सरकारों से (न कि मिलरों से) राज्य की जरूरत का खाद्यान्न घटाने के बाद केवल अधिशेष खाद्यान्न स्वीकार करेगा , जिसका संचलन कमी वाले राज्यों को किया जाना अपेक्षित है।

डीसीपी प्रणाली को अपनाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम ने डीसीपी पद्धति के लाभ बताने के लिए गैर-डीसीपी राज्यों/आंशिक डीसीपी राज्यों में कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली वाले राज्यों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): डीसीपी राज्यों के मामले में केन्द्रीय सरकार की ओर से खाद्यान्नों की खरीद राज्य सरकारें करती हैं। खरीदे गए खाद्यान्नों का वितरण टीपीडीएस एवं अन्य कल्याण स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित आवंटन के अनुसार उनके द्वारा सीधे कर दिया जाता है और अधिशेष मात्रा , यदि कोई हो, भारतीय खाद्य निगम को सौंप दी जाती है। यदि कोई कमी होती है, तो उसकी पूर्ति भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। इस प्रकार सरकार खाद्य आधारित कल्याण स्कीमों के अंतर्गत अपनी बाध्यता को डीसीपी प्रणाली के अंतर्गत पूरा करती है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 15.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2595 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

डीसीपी राज्यों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीसीपी पद्धति किसके लिए अपनाई है
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	चावल
2.	बिहार	चावल/गेहूं
3.	छत्तीसगढ़	चावल/गेहूं
4.	गुजरात	गेहूं
5.	कर्नाटक	चावल
6.	केरल	चावल
7.	मध्य प्रदेश	चावल/गेहूं
8.	उड़ीसा	चावल
9.	तमिलनाडु	चावल
10.	उत्तराखंड	चावल/गेहूं
11.	पश्चिम बंगाल	चावल/गेहूं
12.	पंजाब (एनएफएसए बाध्यताओं हेतु)	गेहूं
13.	राजस्थान (अलवर जिले में)	गेहूं
14.	आंध्र प्रदेश (6 जिले)	चावल
15.	तेलंगाना	चावल

*****